

सरकार के प्रधान सचिव, गृह(आरक्षी)विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-01 दिनांक-20 फरवरी, 2015 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में गौर योजना मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-110-यान पुलिस-उप शीर्ष-0001-वैकीदार एवं दफादार स्थापना अंतर्गत वित्तीय अनुमान हेतु विभिन्न शीर्षों (विषय कोड-एन 2055001100001, मांग संख्या-22)के अंतर्गत वृत्तीय किरत के रूप में अतिरिक्त आवंटन यथा: वित्त-79, 49, 000/- (उनासी लाख उनचार हजार), जीवन् यापन अल्ला-85, 05, 430/- (पचासी लाख पाँच हजार चार सौ तीस), मकान किराया अल्ला-15, 89, 800/- (पन्द्रह नवासी आठ सौ), विकिरसा अल्ला-2, 46, 600/- (दो लाख छियालीस हजार छह सौ) कुल रुपये-1, 82, 90, 830/- (एक करोड़ बारासी लाख नब्बे हजार आठ सौ तीस) रूपये प्राप्त हुआ है, को संगत विभागीय एवं वित्तीय प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुरूप कार्यलय/पदाधिकारीवार उपावृत्त किया जाता है-

क	उपावृत्त प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम	रसीकृत पर			01 01-वैतन						01 03- जीवन् यापन भत्ता						01 04- मकान किराया भत्ता						01 04- विकिरसा भत्ता						पूर्व में आवृत्त यात्रा भत्ता	सर्व योग (8+11+14+17+18)
		बै०	दफा०	कुल	पूर्व का उपावृत्त	वर्तमान का उपावृत्त	कुल (6+7)	पूर्व का उपावृत्त	वर्तमान का उपावृत्त	कुल (9+10)	पूर्व का उपावृत्त	वर्तमान का उपावृत्त	कुल (12+13)	पूर्व का उपावृत्त	वर्तमान का उपावृत्त	कुल (15+16)	पूर्व में आवृत्त यात्रा भत्ता													
1	अं०अ०, मधेपुरा	70	5	75	6,720,590	0	6,720,590	6,485,325	0	6,485,325	504,060	0	504,060	131,825	0	131,825	1,000	13,842,800												
2	अं०अ०, वैलाह	23	1	24	2,234,830	0	2,234,830	2,159,550	0	2,159,550	167,610	0	167,610	43,915	0	43,915	600	4,606,505												
3	अं०अ०, सिरेखर	23	2	25	2,266,200	339,930	2,606,130	2,187,775	328,166	2,515,941	169,975	25,500	195,475	44,475	6,670	51,145	600	5,369,291												
4	अं०अ०, गन्तरिया	33	2	35	3,203,880	178,800	3,382,680	3,094,090	245,657	3,340,747	240,305	0	240,305	62,905	0	62,905	800	7,027,437												
5	अं०अ०, शंकरपुर	17	1	18	1,968,620	622,050	2,590,670	1,912,160	770,900	2,683,060	147,630	82,670	230,300	38,935	24,380	63,315	600	5,567,945												
6	अं०अ०, सुलीगंज	45	3	48	5,249,660	1,330,600	6,580,260	5,099,090	1,587,830	6,686,920	393,730	327,350	721,080	103,825	42,990	146,815	900	14,135,975												

2

2

10, कुमारखंड	52	4	56	5,266,600	1,437,720	6,704,320	5,090,940	1,702,460	6,793,400	395,000	348,770	743,770	103,520	46,320	149,840	800	14,392,130
अं0अ0, उदा0	39	2	41	3,938,080	0	3,938,080	3,809,475	0	3,809,475	295,350	0	295,350	77,485	0	77,485	800	8,121,190
अं0अ0, बिनादीवांज	44	4	48	4,001,660	1,202,030	5,203,690	3,851,090	1,450,274	5,301,364	300,120	301,636	601,756	78,225	39,000	117,225	800	11,224,835
अं0अ0, खालपाडा	29	3	32	3,031,770	979,169	4,010,939	2,931,395	346,015	3,277,410	227,350	124,654	352,004	59,615	32,360	91,975	700	7,733,028
अं0अ0, वीसा	33	2	35	3,671,880	269,740	3,941,620	3,562,095	279,069	3,841,164	275,405	13,240	288,645	72,505	6,000	78,505	800	8,150,734
अं0अ0, पुईली	28	2	30	3,281,040	1,052,067	4,333,107	3,186,950	1,289,803	4,476,753	246,090	271,645	517,735	64,890	34,370	99,260	900	9,427,755
अं0अ0, आलनवा	39	5	44	3,252,190	536,894	3,789,084	3,114,165	504,256	3,618,421	243,900	94,335	338,235	63,180	14,510	77,690	700	7,824,130
कुल योग:-	475	36	511	48,087,000	7,949,000	56,036,000	46,484,100	8,505,430	54,989,530	3,606,525	1,589,800	5,196,325	945,300	246,600	1,191,900	10,000	117,423,755

उपावंदन की शर्तें-

- (1) यह राशि और योजना मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस-उप मुख्य शीर्ष-00-तथु शीर्ष-110-ग्राम पुलिस-उप शीर्ष-0001-चौकीदार एवं वेतनादि भुगतान हेतु विभिन्न शीर्ष एवं विपत्र कोड-एन 2055001100001, मांग संख्या-22) के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- (2) उपर्युक्त राशि से बकाये वेतनादि का भुगतान किया जा सकता है। यदि चौकीदार-दफादार के बकाये वेतनादि से सम्बंधित माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश हो तो उक्त राशि का भुगतान इस उपावंदित राशि से किया जाय और तत्पश्चात् अतिरिक्त राशि की मांग की जाय।
- (3) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17/04/1998 के अलावा अंतर्गत सभी व्यय के लिये विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17/04/1998 की कॉडिका-दे में प्रावधानित बंधन को पूर्ण रूप से शिथिल किया गया है। इसके फलस्वरूप आवंटित राशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।
- (4) किसी भी परिस्थिति में उपावंदित राशि का विचलन कर किसी अन्य मद में खर्च नहीं किया जाएगा अथवा इसकी राशि जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- (5) उपावंदित राशि का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक-25 मार्च, 2015 तक बिना चूक के उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (6) उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित प्रपत्र पर की जाय, विपत्र के साथ आवश्यक कागजातों को सलंघन किया जाय तथा कार्यालय में निकासी एवं व्यय पंजी का संभारण किया जाय।

1

(7) जिकरासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जानेवाले प्रमाण पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसकी सूचना सम्बंधितों को दी जाय।

रु०/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापक-

२१८

/शा०,मधेपुरा दिनांक-०२ मार्च,२०१५

प्रतिनिधि- सभी अंचल अधिकाारी,मधेपुरा जिला को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि- अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज/कोषागार पदाधिकारी,मधेपुरा(आवंटन पत्र की छायाप्रति संतंबन) को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकाारी,मधेपुरा को सूचनाार्थ। अनुरोध है कि इसे जिला के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाय एवं सभी सम्बंधितों को सूचित।

ईमेल कर दी जाय।

प्रतिनिधि- पुलिस अधीक्षक,मधेपुरा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिनिधि- सरकार के प्रधान सचिव,गृह(आरक्षी)विभाग,बिहार पटना/आयुक्त,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

०२/०३/१५